रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 12, 1972 (श्रावण 21, 1894)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 12, 1972 (SRAVANA 21, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 24 जनवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 24th January 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	825
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1293
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1129
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।)	2015
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3051
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	411
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1095
भाग III—खंड 2—एफस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	233
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1267
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	155
पूरक संख्या 33—	
5 अगस्त, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1567
15 जुलाई, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	1577

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	825
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1293
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1129
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	2015
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3051
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	411
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1095
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	233
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1267
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	155
SUPPLEMENT NO. 33—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 5th August 1972	156
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 15th July, 1972	1577

भाग I—खण्ड 1
(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 अगस्त 1972

सं० 5/30/72-सी० एस०-1—अधिसूचना संख्या 5/30/72-सी० एस० (1) दिनांक 1-7-72 के द्वारा भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई, 1972 में प्रकाशित अनुभाग अधिकारी ग्रेड की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1973 की नियमावली में, नियमावली के नियम 4(2) (क) के स्थान पर निम्नलिखित नियम पढ़िए, अर्थात् :—

"4(2) (क) आयु—उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् उसका जन्म पहली जुलाई, 1927 के पहले न हुआ हो ।

नियम

सं० 10/10/72-सी० एस०-2—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1973 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों में अस्थाई रिक्तियों में नियुक्ति के लिये ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम जन-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिकों के उप-संवर्ग का ग्रेड-II)

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड-II (ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये) ।

(iii) केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड-II (ग्रेड की चयन-सूची में सम्मिलित करने के लिये) ।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड-II ।

(v) केंद्रीय सतर्कता आयोग दिल्ली के कार्यालय में आशुलिपिकों के पद ।

(vi) भारतीय विदेश सेवा (ख) । रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में भाग न लेने वाले भारत सरकार के अन्य विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद ।

उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी एक या एक से अधिक से संबंधित परीक्षा में प्रवेश के लिये कोई उम्मीदवार आवेदन कर सकता है । इन सेवाओं/पदों में से जितनों के लिये भी वह उम्मीदवार चाहे अपने आवेदन-पत्र में उनका निर्देश कर सकता है ।

टिप्पणी—1 : उम्मीदवारों को चाहिये, कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता करना चाहते है, उनकी वरीयता के क्रम को स्पष्ट रूप से लिख दें । उम्मीदवार द्वारा प्रारंभ में अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के वरीयता क्रम में परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर विचार नही किया जायेगा जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में 31 अक्टूबर, 1973 को या उसम पहले न मिल जाये ।

टिप्पणी—2 : इस परीक्षा के आधार पर भर्ती करने वाले भारत सरकार के कुछ विभागों/कार्यालयों को केवल अंग्रेजी के आशुलिपिकों की आवश्यकता होगी, और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर इन विभागों/कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों पर नियुक्तियां केवल उन व्यक्तियों में से की जायेंगी जिनकी अंग्रेजी में लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षाओं के आधार पर आयोग द्वारा सिफारिश की जायेगी (नियमों के परिशिष्ट 1 के पैरा 3 के संदर्भ में) ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट 1 में विहित विधि से किया जायेगा परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निश्चित किये जायेंगे ।

3. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नैपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आ गया हो, या

(च) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और कैन्या, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानीका और जंजीबार) इन पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजित हुआ हो ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता का प्रमाण-पत्र होना चाहिये ।

परन्तु उन उम्मीदवारों के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा जो ऊपर की (घ) श्रेणी के ऐसे गैर-नागरिक हैं, जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आये थे और तब से लगातार उस सेवा में काम कर रहे हैं । परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जो सेवा भंग करके 26 जनवरी, 1950 के बाद, उस सेवा में फिर से आया हो या फिर से जाये, औरों की तरह ही उसे भी पात्रता-प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा ।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) के वर्गों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख)—(आशुलिपिकों के उप-संवर्ग का ग्रेड-II) में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे ।

(2) किसी उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक है, यदि सरकार आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दे तो, उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अंतिम रूप से उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है ।

4. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो, या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दियू का निवासी न हो, या कैन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन करके न आया हो वह परीक्षा में दो बार से अधिक प्रतियोगिता नहीं कर सकेगा, किंतु यह प्रतिबंध सन् 1962 में हुई परीक्षा से लागू होगा ।

टिप्पणी—1 : यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिये प्रतियोगिता दें तो, इस नियम के प्रयोजन के लिये उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिये एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जायेगा ।

टिप्पणी—2: किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हुआ तब माना जायेगा जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षी में बैठा हो ।

5-(क) इस परीक्षा में बैठने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 1973 को पूरे 18 वर्ष हो गई हो किंतु उसकी आयु पूरे 25 वर्ष न हुई हो, अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1948 से पहले और 1 जनवरी, 1955 के बाद न हुआ हो ।

(ख) उन व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है जो, संघ राज्य क्षेत्रों, प्रशासनों अथवा निर्वाचन आयोग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधीन व्यक्तियों सहित, भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में आशुलिपिकों (जिनमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल है), लिपिकों (आशु टंककों) के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1973 को जिन्होंने आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत)/लिपिकों/आशुटंककों के रूप में कम से कम तीन वर्ष निरन्तर सेवा की है, तथा उक्त पदों पर अभी तक काम कर रहे हैं ।

परन्तु उपर्युक्त आयु संबंध छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जायगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किये जा चुके हैं ।

(i) केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-II, या

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-II, या

(iii) भारतीय विदेश सेवा (ख) (आशुलिपिकों के उपसंवर्ग का ग्रेड II), या

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड-II

टिप्पणी—1 : डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल-डाक छंटाई कारों की सेवा उपर्युक्त नियम 5(ख) के प्रयोजन के लिये लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जायगी ।

टिप्पणी—2 : रक्षा प्रतिष्ठानों में नियुक्त सेवा लिपिकों द्वारा की गई सेवा उपर्युक्त नियम 5(ख) के प्रयोजन के लिये नहीं गिनी जायगी ।

(ग) ऊपर के सभी मामलों में ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और भी छूट दी जायगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 के पहले प्रव्रजन करके भारत आया हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 के पहले प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर 1964 के भारत लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद में लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम तीन वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 से भारत लंका समझौते की अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम आठ वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दियु का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और कैन्या उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक ।

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो तथा पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिकतम आठ वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा-सेवा-कार्मिकों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष,

(xii) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से ऐसे रक्षा-सेवा-कार्मिकों के मामलों में, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हों, अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(घ) उन स्वाधीनता सेनानियों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जायेगी जो (i) गोआ दमन दीव की पुर्तगाली सरकार के कर्मचारी नहीं थे और (ii) उन्होंने मुक्ति संघर्ष में भाग लिया जिसके फलस्वरुप उन्हें पुर्तगाली प्रशासन के अधीन छः मास या अधिक समय तक कारावास अथवा हवालात में रहना पड़ा था । किन्तु शर्त यह है कि उनकी आयु 1-1-1972 को 35 वर्ष की न हुई हो ।

टिप्पणी :—यह आयु सीमा रिआयत उन प्रत्याशियों को नहीं मिलेगी जो कि नियम 5(घ) के लिखे गये आयु सीमा रिआयतों के भागी हों ।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु सीमाओं में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी ।

ध्यान दें :—(i) यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5 (ख) में उल्लिखित आयु संबंधी रिआयतों के अन्तर्गत परीक्षा म बैठने दिया गया हो और यदि वह आवेदन पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, नौकरी से त्याग पत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायें तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । लेकिन यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाय तो वह पात्र बना रहेगा ।

(ii) किसी आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत)/लिपिक/आशुटंकक को जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से किसी बाह्य पद (एक्स-केडर पोस्ट), पर प्रतिनियुक्त हो उस परीक्षा में बैठने दिया जायगा, यदि वह अन्यथा पात्र हो ।

6. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो और उसके पास निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण-पत्र हो :

(i) भारत के केंद्रीय या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा,

(ii) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अंत में स्कूल लीविंग माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण-पत्र को जिसे यह राज्य सरकार की नौकरी में प्रवेश के लिये मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष मानती हो, ली गई परीक्षा,

(iii) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा/सीनियर कैम्ब्रज,

(iv) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा,

(v) श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रीय, पांडिचेरी के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र,

(vi) दिल्ली पोलोटेकनीक के तकनीकी हायर सेकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र ।

(vii) मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल/मल्टीपरपज स्कूल द्वारा हायर सेकेंडरी पाठ्यक्रम/मल्टीपरपज पाठ्यक्रम (जो किसी उम्मीदवार को 3 वर्ष के डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिये योग्य बनाता है) के उपान्तिम वर्ष के अन्त में ली गई परीक्षा में ऊत्तीर्ण,

(viii) मान्यताप्राप्त उस स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र जो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिये छात्रों को तैयार करता है ।

(ix) जामिया मिलया इस्लामिया, दिल्ली को जूनियर परीक्षा, केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिये,

(x) बंगाल (विज्ञान) स्कूल सर्टिफिकेट,

(xi) राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्/नेशनल काउन्सिल आफ एजूकेशन/जादवपुर, पश्चिमी बंगाल को फाइनल स्कूल स्टेंडर्ड परीक्षा (आरंभ से लेकर),

(xii) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रेंच परीक्षायें, (i) ब्रीवे एलिमेंतेयर (ii) ब्रीवे दे "एसीमा" प्रीमियर द लेंग्वेज इंडियेन (iii) ब्रीवेद एत्यूद द्यु प्रीमियर सीक (iv) ब्रीवे द एसीमा प्रीमियर सुपीरियेर द लांग इदियेन और (v) ब्रीवे द लांग इंदियेन (वर्नाकूलर),

(xiii) इंडियन आर्मी स्पेशल सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन,

(xiv) भारतीय नौसेना का हायर एजुकेशनल टैस्ट,

(xv) एडवांस्ड क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा,

(xvi) सीलोन सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा,

(xvii) ईस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र ।

(xviii) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोमीला/राजशाही/खुलना (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) द्वारा दिये जाने वाले माध्यमिक स्कूल प्रमाण-पत्र

(xix) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट परीक्षा,

(xx) एंग्लोवर्नाकूलर स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट बर्मा,

(xxi) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन सार्टिफिकेट,

(xxii) शिक्षा विभाग बर्मा (युद्ध पूर्व) की ए० ग्लोवर्नाकूलर हाई स्कूल परीक्षा,

(xxiii) बर्मा का पोस्ट वार स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट,

(xxiv) गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद को "विजीत" परीक्षा,

(xxv) गोआ दमन और दियू की पुर्तगाली योग्यता लाइसियुम के पांचवें वर्ष में पास,

(xxvi) "सामान्य" स्तर पर श्री लंका की जनरल सार्टिफिकेट आफ ऐजूकेशन नामक परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिंहली या तमिल समिति छः विषयों में पास की गई हो ।

(xxvii) सामान्य स्तर पर लंदन के एसोशियेटेड एंग्जामिनेशन बोर्ड की जनरल सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो ।

(xxviii) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर सेकेंड्री तकनीकी स्कूल परीक्षा,

(xxix) पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) या पुरानी खंड माध्यमा (प्रथम दो वर्ष का पाठ्यक्रम) और वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के विषयों में अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशिष्ट परीक्षा ।

(xxx) गोआ, दमन और दियू की मुक्ति के पहले पुर्तगाली व्यवस्था के अधीन ऐसकोला इंडस्ट्रियल कामर्सियल डि गोआ, पणजी द्वारा प्रदत्त कार्टा डि कर्सो डि सिरालहीइरो (स्मिथि पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र) और काटी डि कर्सो डि मान्टाडोर ऐलेक्ट्रीसिस्टा (बिजली-मिस्तरी के पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र) ।

टिप्पणी—1 : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा, जिसमें उतीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, दे चुका हो, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन-पत्र भेज सकता है । जो उम्मीदवार ऐसी किसी अर्हक (क्वालिफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन पत्र दे सकता है बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरु होने से पहले पूरी हो जाए । ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, किंतु परीक्षा में बैठने की अनुमति अनन्तिम होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर प्रस्तुत नही करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जाएगी ।

टिप्पणी—2 : किन्हीं आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके पास इस नियम में निर्धारित कोई भी अर्हता नहीं है संघ लोक सेवा आयोग शिक्षा की दृष्टि से अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है, बशर्ते कि उसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर, आयोग की राय में, परीक्षा में प्रवेश के लिए न्यायोचित है ।

7. जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति /पत्नी पहले से है या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

8. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत में पहले से ही सरकारी सेवा कर रहा हो, उसे इस परीक्षा में बैठने के लिए अपने विभाग-अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए ।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्ही उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की संभावना हो ।

टिप्पणी— विकलांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के संबंध में रक्षा सेवा के डीमोबीलाइजेशन में मैडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र/सार्टिफिकेट आफ एडमिशन न हो ।

12. उम्मीदवारों को आयोग की विज्ञप्ति के अनुबन्ध में विहित फीस देनी होगी ।

13. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो वह परीक्षा में बैठने के लिए अनर्ह घोषित किया जा सकेगा ।

14. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किए गए हैं या ऐसे प्रमाण पत्र पेश किए हैं जिसमें कोई हेराफेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :

(क) आयोग उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए :

(i) आयोग उम्मीदवारों के चुनाव के लिए उसके द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार, अपने अधीन नियुक्त होने से रोक सकती है,

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में नियुक्त हो तो उसके खिलाफ उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

15. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद भारत सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनु० जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951 तथा संविधान (अनुसू० आदिम जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, बम्बई पुनर्गठन अतिनियम, 1960 तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित यथा संशोधित अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों की अनुसूचियों (संशोधन) आदेश 1956, संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान अनुसूचित आदिम जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैन्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 में उल्लिखित कोई जाति/आदिम जाति।

16. परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता-क्रम से सूची बनाई जाएगी और उस क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलता-प्राप्त समझेगा, उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक के ग्रेड II की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाने वाले अन्य सेवाओं/पदों में अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या तक के नामों की सिफारिश की जाएगी।

परन्तु यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या तक सामान्य स्तर से नहीं भरे जा सकते तो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए और आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए स्तर में प्रदत्त छूट के अनुसार इस परीक्षा में उनके योग्यता क्रम में स्थान निरपेक्ष अन्य सेवाओं/पदों के रिक्त स्थानों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने पर, आयोग द्वारा उन के नाम सिफारिश किए जा सकते हैं।

17. आवेदन पत्र भेजते समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए उम्मीदवार द्वारा दी गई प्राथमिकताओं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियां करते समय समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

18. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए ; इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बार में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

19. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

20. उन सेवाओं/पदों के बारे में, जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है, संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट II में दिया गया है।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

परिशिष्ट—1

1. परीक्षा के विषय, तथा प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
1. अंग्रेजी . . .	3 घन्टे	100
2. सामान्य ज्ञान . .	3 घन्टे	100

भाग ख—हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए) . . . . 300 अंक

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि-नोट टंकण मशीन पर लिप्यन्तर करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकण मशीन लानी होगी।

2. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि की परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची में दिए गए अनुसार होगी।

3. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र II का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में लिखने की छूट है। यह छूट पूर्ण प्रश्न पत्र के लिए लागू होगी न कि उसके किसी भाग के लिए।

जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्नपत्र हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल हिन्दी (देवनागरी) में देनी होगी, और जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्न पत्र अंग्रेजी में लिखने का विकल्प करेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में देनी होगी।

टिप्पणी 1 :—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (II) का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में देने के इच्छुक हों, तो यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 8 में लिखें। अन्यथा यह माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देंगे।

एक बार का विकल्प अंतिम समझा जाएगा, और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2 :—जो उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परीक्षा देना चाहते हैं, और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (ii) का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिंदी में लिखना चाहते हैं, उन्हें अपने निजी व्यय पर आशुलिपि की परीक्षाएं विदेश में किसी भारतीय मिशन में, जहां ऐसी परीक्षाएं लेने के आवश्यक प्रबंध हों, परीक्षा देनी पड़ सकती है।

4. लिखित परीक्षा का अंग्रेजी प्रश्न पत्र (i) का उत्तर सभी उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में देना अनिवार्य है।

5. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से क्रम में ऊंचा रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए कुल अंकों के अनुसार, पारस्परिक प्रवरता अनुक्रम में रखा जाएगा (निम्नलिखित अनुसूची का भाग ख को देखें)।

6. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

8. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

10. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक काट दिए जाएंगे।

11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष लिहाज रखा जाएगा कि भाषाभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई है।

अनुसूची

भाग—क

परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी : भाग "क" के प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

अंग्रेजी : यह प्रश्न-पत्र इस ढंग से तैयार किया जाएगा, कि इस से उम्मीदवारों के अंग्रेजी-व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। अंक देते समय वाक्य-विन्यास/सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा-कौशल को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न-पत्र में निबन्ध-लेखन, सार-लेखन मसौदा-लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और अव्यय (प्रीपोजीशन), डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किए जा सकते हैं।

सामान्य ज्ञान : निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी :—भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामायिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान तथा दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्य पुस्तक के ब्यौरवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती।

भाग-ख

आशुलिपि परिक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी—एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी—एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में निष्पंतर करने होंगे।

परिशिष्ट-II

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है।

क- केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सेवा

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

चयन ग्रेड : रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900 (ग्रेड-I से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम रु० 500 का वेतन दिया जाता है)।

ग्रेड-I रु० 350-25-650-द० रो०-30-770-(ग्रेड-II से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम रु० 400 का प्रारम्भिक वेतन दिया जाता है)।

ग्रेड-II रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450 द० रो०-20-530

ग्रेड-III रु० 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280

(2) उक्त सेवा के ग्रेड-II में नियुक्त व्यक्ति 2 वर्ष तक परीवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

(3) परीवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति की उसके पद पर पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परीवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(4) सेवा के ग्रेड-II में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। किन्तु उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

(5) सेवा के ग्रेड-II में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा के ग्रेड-II में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जाएगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगे।

ख- रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा

(क) (1) इस समय रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

चयन ग्रेड : रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800 द० रो०-30-830-35-900 (ग्रेड-I से पदोन्नत व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में न्यूनतम रु० 500 पर निर्धारित कर दिया जाएगा।

ग्रेड-I : रु० 350-25-650-द० रो०-30-770 रु० (ग्रेड-II से पदोन्नत व्यक्ति का वेतन इस वेतनमान में न्यूनतम 400 रु० पर निर्धारित कर दिया जाएगा)।

ग्रेड-II रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450 द० रो०-20-530

ग्रेड-III रु० 130-5-160-8-200-द० रो० 8-256-द० रो०-8-280

(II) इस सेवा के ग्रेड-II में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि उनमें से किसी का कार्य या आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मचारियों के समान अन्य मंत्रालयों में इस मंत्रालय के कर्मचारियों का तबादला नहीं होता।

(ग) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा के अधिकारी :—

(i) पेंशन सम्बन्धी लाभों के भागी होंगे, और

(ii) गैर अंशदायी राज्य रेलवे बोर्ड भविष्य निधि में उस निधि के उन नियमों के अधीन जो सेवा में शामिल होने की तिथि से रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं, अंशदान देंगे।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवार समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेलवे पास और विशेषाधिकार टिकट आदेशों के पात्र होंगे।

(ङ) जहां तक छुट्टियों और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित कर्मचारियों को रेलवे के अन्य कर्मचारियों के समान ही समझा जाता है। परन्तु चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिए उन पर वे नियम लागू होंगे जो उन अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनका मुख्यालय नई दल्ली में है।

भारतीय विदेश सेवा (ख)-आशुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेड-II का वेतनमान 210-10-270-15-300-द० रो०-15 450-द० रो०-20-530 रु० है। भारतीय विदेश सेवा (शाखा-ख) आशुलिपिकों के उप-संवर्ग के ग्रेड II में नियुक्त

अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा शाखा-ख (आर० सी० एस०पी०) नियमावली 1964, भारतीय विदेश सेवा (पी० एल०सी०एं०) नियमावली, 1961, जो भारतीय विदेश सेवा "ख" के अधिकारियों पर लागू की गई है, तथा वे नियम और आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं, द्वारा शासित होंगे ।

भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) विदेश मंत्रालय और विदेशों में भारतीय मिशनों तक ही सीमित है । इस सेवा में नियुक्त अधिकारी विशेष व्यापार एवं पूर्ति मंत्रालय (विदेश व्यापार विभाग) को छोड़कर समान्यता अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरण नही किए जा सकेंगे। परन्तु वे विदेशों में अन्य मंत्रालयों के पदों में निर्मित पदों पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों आदि में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। वे भारत में तथा भारत के बाहर कही भी, उन स्थानों सहित जहां परिवार का कोई भी सदस्य साथ नही रखना होता, सेवा पर भेजे जा सकते है ।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को, विदेशों में, उनके मूल वेतन के अतिरिक्त उस दर से विशेष भत्ता दिया जाएगा, जो सम्बद्ध देशों के निर्वाह खर्च आदि के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त, भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के लिए लागू भारतीय विदेश सेवा (पी० एल०सी०एं०) नियमावली, 1961 के अनुसार विदेश सेवा अवधि में निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार होंगी :—

(i) सरकार निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क सुसज्जित आवास।

(ii) चिकित्सा परिचर्या योजना सहायता के अन्तर्गत चिकित्सा परिचार्या सुविधाएं।

(iii) कतिपय शर्तों के अधीन छुट्टी की लम्बी अवधि में भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे 8 से 21 वर्ष तक की आयु के बच्चों का वायुमार्ग द्वारा वार्षिक वापसी यात्रा व्यय।

(iv) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से 5 से 18 वर्ष के अधिकतम दो बच्चों का शिक्षा भत्ता।

(v) विहित नियमों और समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित दरों के अनुसार विदेशों में सेवा करने के संबंध में सज्जाकरण भत्ता । साधारण सज्जाकरण भत्ते के अतिरिक्त असाधारण ठंडी जलवायु वाले देशों में नियुक्त अधिकारियों को विशिष्ट सज्जाकरण भत्ता स्वीकार्य होगा।

(vi) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों को घर जाने की छुट्टी का यात्रा किराया।

संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933, जो समय-समय पर संशोधित भी गई है, कतिपय आशोधनों के अधीन इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी। ये अधिकारी कुछ पड़ौसी देशों को छोड़कर विदेश सेवा में संशोधित छुट्टी नियमावली के अधीन स्वीकार्य छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी जमा कर सकेंगे। उक्त अधिकारी, जब भारत में होंगे, तो ऐसी रियायतों के हकदार होंगे, जो बराबर तथा एक समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हों।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के द्वारा शासित होंगे।

इस सेवा में नियुक्त अधिकारी उदात्त पेंशन नियमावली, 1950 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, और इसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे।

टिप्पणी :—भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों का उपसंवर्ग पुनर्गठित किया जा रहा है।

घ- सशस्त्र सेना मुख्यालय अशुलिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित तीन ग्रेड हैं :—

1. **आशुलिपिक ग्रेट I (निजी सचिव)**

श्रेणी II-राजपत्रित (चयन ग्रेड)

वेतनमान रु० 350-25-500-30-590-द० रो-30-800 ग्रेड I से पदोन्नत व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में 500 रू० पर निर्धारित किया जाएगा।

2. **आशुलिपिक ग्रेड-II (वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक)**

श्रेणी II राजपत्रित

वेतनमान : रु० 350-25-650-द० रो०-30-740 ग्रेड II से पदोन्नत व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में रु० 400 पर निर्धारित किया जाएगा।

3. **आशुलिपिक ग्रेड-II (व्यक्तिक सहायक)**

श्रेणी II-अराजपत्रित

वेतनमान : रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530।

2. ग्रेड अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड II (वैयक्तिक सहायक) के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति 2 वर्ष तक पवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि में असंतोषजनक सेवा अभिलेख रहा तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति सेवा से निकाला जा सकता है। परिवीक्षा काल में उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

3. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में भर्ती किया गया ग्रेड-II का आशुलिपिकि सामान्यतः सशस्त्र सेना मुख्यालय और दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अन्तर सेवा संगठन के किसी कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा । वह दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर ऐसे अन्य स्थानों पर भी नियुक्त किया जा सकेगा जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय/अन्तर सेवा संगठन के कार्यालय स्थित हों।

4. ग्रेड-II के आशुलिपिक ग्रेड I (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) लिपिकों के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे और ग्रेड I के आशुलिपिक (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) समय-समय पर लागू किए गए नियमों के अनुसार ग्रेड के आशुलिपिक (निजी सचिव) के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता और सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन में नियुक्त अन्य लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

ङ०—भारतीय केन्द्रीय सतर्कता आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में आशुलिपिकों के पदों का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिकों के वेतन-मान के समान अर्थात् रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 है, परन्तु ये पद उस सेवा में सम्मिलित नहीं हैं।

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 जुलाई 1972

सं० 3/28/69-जी० पी० (1)—राष्ट्रपति, दादर और नगर हवेली के संघ शासित क्षेत्र के लिए गृह मंत्री से संबद्ध एक सलाहकार समिति सहर्ष स्थापित करते हैं ।

2. सलाहकार समिति में निम्नलिखित होंगे:—

(i) प्रशासक, दादर और नगर हवेली ।

(ii) दादर और नगर हवेली के संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद् सदस्य ।

(iii) वरिष्ठ पंचायत का अध्यक्ष ।

(iv) तीन गैर-सरकारी सदस्य ।

3. सलाहकार समिति से निम्नलिखित बातों में सलाह ली जायेगी :—

(i) राज्य क्षेत्र में संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित नीति के सामान्य मामले ।

(ii) राज्य सूची में समाविष्ट मामलों में इस संघ शासित क्षेत्र से संबंधित सभी विधायी मामले ;

(iii) संघ के वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित ऐसे मामले, जिनका संबंध इस संघ शासित क्षेत्र से है और ऐसे अन्य वित्तीय मामले, जो राष्ट्रपति द्वारा इस समिति को भेजे जायें, और

(iv) ऐसा अन्य कोई मामला, जिसमें गृह मंत्री यह वांछनीय या आवश्यक समझें, कि सलाहकार समिति से, परामर्श कर लेना चाहिए ।

4. कोई सूचना देने या किसी मामले पर चर्चा करने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए गृह मंत्री के विवेकाधिकार की शर्त पर, सलाहकार समिति के सदस्यों को स्थिति का स्पष्टीकरण मांगने और प्रश्न पूछने आदि के सम्बन्ध में वैसे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को प्राप्त हैं ।

5. सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य हर साल नामित किए जाएंगे ।

6. सलाहकार समिति की बैठक छः महीने की अवधि में कम से कम एक बार अवश्य होगी ।

7. सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे ।

8. सलाहकार समिति की बैठकों पर वे कार्य विधि नियम लागू होंगे जो सलाहकार समिति के परामर्श से गृह मंत्री द्वारा तैयार किये जायें ।

9. सलाहकार समिति की सदस्यता मानार्थ होगी और उसके लिए कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा ।

सं० 3/28/69-जी०पी०-(ii) —गृह मंत्रालय की तारीख 22 जुलाई, 1972 की अधिसूचना सं० 3/28/69-जी० पी०-1 (i) के पैरा 2(iv) के अनुसरण में, राष्ट्रपति दादर और नागर हवेली के संघ शासित क्षेत्र के लिए गृह मंत्री के साथ संबद्ध सलाहकार समिति में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के लिए सहर्ष नामित करते हैं :—

1. श्री जयंतीभाई नारानभाई देसाई,
2. श्री देवजी भाई राजू भाई गोंड
3. श्रीमती जम्नीबेन रामजीभाई वर्था

सुरेश चन्द्र वैश्य, उप सचिव

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 1972

संकल्प

सं० एस० एस० आई० (1)-17(3)/72—भारत सरकार लघु उद्योग बोर्ड को निम्न प्रकार पुनर्गठित करती है :—

अध्यक्ष

औद्योगिक विकास मंत्री,
भारत सरकार ।

उपाध्यक्ष

औद्योगिक विकास मंत्रालय में लघु उद्योगों के प्रभारी उपमंत्री ।

सदस्य

1. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
आन्ध्र प्रदेश सरकार ।
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) ।
2. मुख्यायुक्त,
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह,
पोर्ट ब्लेअर ।
3. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
अरुणाचल प्रदेश सरकार,
ज़िरो ।
4. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
आसाम सरकार,
शिलांग ।
5. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
बिहार सरकार,
पटना ।
6. मुख्यायुक्त,
चण्डीगढ़ प्रशासन,
चण्डीगढ़ ।

7. मुख्य कार्यकारी पार्षद,
दिल्ली प्रशासन ,
दिल्ली ।

8. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री ,
गोवा, दमन और द्वीव सरकार ,
पणजी ।

9. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री ,
गुजरात सरकार,
अहमदाबाद ।

10. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
हरियाणा सरकार ,
चण्डीगढ़ ।

11. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
हिमाचल प्रदेश सरकार ,
शिमला ।

12. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
जम्मू तथा काश्मीर सरकार,
श्रीनगर ।

13. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री ,
केरल सरकार ,
त्रिवेन्द्रम् ।

14. मुख्यायुक्त,
लकादीव तथा मिनिकाय द्वीपसमूह,
काकरावी ।

15. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल ।

16. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री ,
मेघालय सरकार,
शिलांग ।

17. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
महाराष्ट्र सरकार,
बम्बई ।

18. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
मिजोरम सरकार,
ऐंजल ।

19. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
मणिपुर सरकार ,
इम्फाल ।

20. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
मैसूर सरकार,
बंगलौर ।

21. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
नागालैंड सरकार ,
कोहिमा ।

22. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
उड़ीसा सरकार,
भुवनेश्वर ।

23. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री ,
पाण्डिचेरी प्रशासन ,
पांडिचेरी ।

24. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
पंजाब सरकार ,
चण्डीगढ़ ।

25. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

26. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
तामिलनाडु सरकार,
मद्रास ।

27. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
त्रिपुरा सरकार,
अगरतला ।

28. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

29. लघु उद्योगों के प्रभारी मंत्री,
पश्चिमी बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।

30. सदस्य (उद्योग),
योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली ।

31 से 36 छः संसद् सदस्य,
(नाम अलग से अधिसूचित किये जायेंगे)

37. सचिव,
औद्योगिक विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

38. लघु उद्योगों के प्रभारी
अपर सचिव/संयुक्त सचिव,
भारत सरकार ।

39. विकास आयुक्त लघु उद्योग,
नई दिल्ली ।

40. अध्यक्ष ,
राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड,
नई दिल्ली ।

41. चेयर मैन,
स्टेट बैंक आफ इण्डिया,
केन्द्रीय कार्यालय,
बंबई ।

42. डिप्टी गवर्नर,
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया,
केन्द्रीय कार्यालय,
बंबई ।

43. कस्टोडियन,
सिंडीकेट बैंक,
मनिपाल (मैसूर राज्य) ।

44. कस्टोडियन,
सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया,
महात्मा गांधी, रोड,
फोर्ट,
बम्बई-5 ।

45. कस्टोडियन ,
युनाइटेड कमर्शियल बैंक,
10, क्रेबोर्न रोड,
कलकत्ता-1,

46. कस्टोडियन,
देना बैंक,
17-नरीयन सर्किल,
बम्बई-1.

47. श्री ए० आर० भट्ट,
1218, सदाशिव पेठ,
पूना-30.

48. डा० एस० के० गोयल,
इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
दिल्ली ।

49. प्रो० एम० एल० दांतवाला,
निदेशक एवं प्रोफेसर,
कृषि अर्थशास्त्र,
बंबई विश्वविद्यालय,
बंबई-32.

50. श्री जगमोहन सिंह कोचर,
चेयर मैन,
इण्डियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंस एसोशियशन,
द्वारा जगसनपाल एण्ड कम्पनी,
भगीरथ पैलेस,
दिल्ली-6

51. श्री चक्रधारी अग्रवाल,
महासचिव,
नेशनल एलायेंस फार यंग एंटरप्रेन्योर्स,
सी-20/बी,
ग्रीन पार्क एक्सटेंसन,
नई दिल्ली-16.

52. श्री मोहन सिंह,
स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एस्टेट,
विशाखापत्तनम्,
(आंध्र प्रदेश) ।

53. श्री बालमुकुन्द सिंह,
मगध रिरोलिंग, मिल,
नवादा, जिला-गया,
(बिहार) ।

54. श्री पी. बी० अडवानी,
ओसियाना, मैरीन ड्राइव ,
बम्बई ।

55. श्री केशव महिन्द्रा,
द्वारा मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड,
बम्बई ।

56. डा० एस० एम० पाटिल,
चेयरमैन
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स,
बंगलौर-31.

57. श्री एम० एस० पार्थसारथी,
अध्यक्ष, फेडरेशन आफ एसोसियेशन आफ स्माल इण्डस्ट्रीज
आफ इण्डिया,
23-बी०/2,
रोहतक रोड,
नई दिल्ली-5.

58. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय निर्माता संघ,
जीवन सहकार,
सर पी० एम० मैहता रोड,
बंबई-1.

59. श्री जी० एल० बंसल,
महा-सचिव,
फैडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री,
बाजार मार्ग,
दिल्ली-1.

60. श्री एम० बोहरा,
207 , काम्बाला क्रेस्ट,
42, पोद्दार रोड,
बबई-26

61. श्री ए० एन० श्रीनिवास राव,
ड्राइवेलम इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड,
ए-5/6, इण्डस्ट्रियल एस्टेट,
मद्रास-32.

62. श्री एच० एस० भाटी,
अध्यक्ष,
इलैक्ट्रोनिक्स पार्टस एण्ड कम्पोनेन्ट,
मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएशन,
1-सी०, नाज बिल्डिंग,
सैमिगट्न रोड,
बंबई-4.

63. श्री ओ० एन० शर्मा,
मे० एम० सी० इंजीनियरिंग कम्पनी,
ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट,
नई दिल्ली-20.

64. अध्यक्ष,
स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिऐशन,
कवेंट स्ट्रीट,
विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) ।

65. अध्यक्ष,
राची लघु उद्योग संघ,
द्वारा राधा रमण प्रेस,
मैन रोड,
रांची (बिहार) ।

66. अध्यक्ष,
जम्मू लघु उद्योग संघ,
द्वारादिम्बर प्राइवेट लिमिटेड,
अखनूर रोड,
जम्मू-1.

67. अध्यक्ष,
केरल लघु उद्योग संघ,
17/83, बनर्जी रोड,
एर्णाकुलम-8 (केरल) ।

68. अध्यक्ष,
जयपुर औद्योगिक बस्ती संघ,
जयपुर (राजस्थान) ।

69. अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ,
33-मालवीय नगर,
भोपाल ।

70. अध्यक्ष,
नागालैंड लघु उद्योग संघ,
कोहिमा ।

71. अध्यक्ष,
उड़ीसा लघु उद्योग संघ,
पो० आ० चौलियागंज,
कटक-3.

72. अध्यक्ष ,
उ० प्र०, औद्योगिक बस्ती निर्माता संघ,
17-औद्योगिक बस्ती,
कानपुर ।

73. अध्यक्ष,
औद्योगिक बस्ती निर्माता संघ, गिंडी,
मद्रास-32.

74. अध्यक्ष,
औद्योगिक बस्ती संघ,
लुधियाना (पंजाब)।

75. अध्यक्ष,
औद्योगिक बस्ती संघ,
औखला,
नई दिल्ली-20.

76. अध्यक्ष,
गोहाटी औद्योगिक बस्ती लघु निर्माता संघ,
पो० आ० बामुनीमैदान,
गौहाटी (आसाम) ।

77. श्री अब्दुलबारी सरकार,
एडवोकेट,
पो० आ० धुर्बी,
आसाम ।

78. प्रो० धनन्जय कुमार सिंह,
मोहल्ला कमरूद्दीन गंज,
पो० आ० बिहारशरीफ,
जिला पटना (बिहार) ।

79. श्री पी० एन० राजभोज,
भारत दलित सेवक संघ,
207-घोरपाड़े पेठ,
पूना-2.

80. डा० जे० डी० वर्मा,
निदेशक, सदस्य सचिव,
विकास आयुक्त,
लघु उद्योग का कार्यालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-11.

(2) पुनर्गठित बोर्ड के कार्य लघु उद्योगों के विकास से संबंधित नीति संबंधी सभी मामलों में सरकार को सलाह देना होगा ।

(3) बोर्ड को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए समितियां नियुक्त करने के अधिकार होंगे जब भी आवश्यकता हो, बोर्ड की बैठकों में व्यक्तियों को आमंत्रित करने का अधिकार भी बोर्ड को होगा।

(4) लघु उद्योग बोर्ड का कार्यकाल 18 मई, 1972 से दो वर्ष का होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया गया है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

(आबिद हुसैन), संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

नई दिल्ली-, दिनांक 21 जुलाई, 1972

संकल्प

सं० 2(2)/67/ई० आई० (एम०)/ई० ई० आई०:—इस मंत्रालय के 7 दिसम्बर 1971 के संमसंख्यक संकल्प के क्रम में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली में संरचना तथा धातु विभाग के प्रधान विभाग के प्रधान (हेड) श्री आर० के० श्रीवास्तव को 6 दिसम्बर, 1973 तक इस्पात की ढली हुई वस्तु

उद्योग की पुनर्गठित नामिका का सदस्य नामित करती है । उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात :—

उक्त संकल्प में, श्री बी० वी० प्रभु से संबंधित प्रविष्टि सं० 18 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी; अर्थात:-

19. श्री आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान, संरचना तथा धातु विभाग,
मानक भवन, भारतीय मानक संस्था,
नई दिल्ली-1.

पी० बी० सक्सेना, अवर सचिव

नई दिल्ली-, दिनांक 26 जुलाई 1972

संकल्प

सं० 23(31)/71-कंज० इण्ड०:—औद्योगिक विकास मंत्रालय के 16 मार्च, 1972 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करके उष्मसह उद्योग की नामिका में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है :—

1. श्री पी० एस० सुन्दरम् — सदस्य
अधीक्षक (उष्मसह), राउरकेला
इस्पात संयंत्र,
राउरकेला-1 (उड़ीसा)

2. श्री गजेन्द्र गडकर, — सदस्य
उष्मसह इंजीनियर
भिलाई इस्पात संयंत्र,
भिलाइ-1 (म० प्र०)

3. श्री बी० के० पी० छिब्बर, — सदस्य
अधीक्षण अभियंता,
(उष्मसह),
बोकारो इस्पात संयंत्र,
बोकारो इस्पात नगरी,
जिला हजारी बाग (बिहार)

4. श्री बी० बी० नाडगिर, — सदस्य
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक,
भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,
27, जवाहर लाल नेहरू रोड,
कलकत्ता-13.

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए संकल्प को भारत के राजस्पत्र में प्रकाशित किया जाये ।

बाई० ए० राव, अवर सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 जुलाई, 1972

आदेश

सं० 53/1/70-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग में निम्नांकित अधिकारियों को कथित धारा 209 के उद्देश्य हेतु, प्राधिकृत करता है :—

1. श्री टी० एस० श्रीनिवासन, संयुक्त निदेशक, निरीक्षण, नई दिल्ली-1.
2. श्री डी० सी० कोहली, संयुक्त निदेशक, निरीक्षण, बम्बई ।
3. श्री के० पी० सिंह, उप-निदेशक, निरीक्षण नई दिल्ली ।
4. श्री जी० पी० गर्ग, उप-निदेशक, निरीक्षण, नई दिल्ली ।
5. श्री बाई० खोखर उप-निदेशक, निरीक्षण, कानपुर ।
6. श्री ओ० पी० गुप्ता, निरीक्षण अधिकारी, नई दिल्ली ।
7. श्री सी० अच्युतन, जांच-पड़ताल, अधिकारी, बम्बई,
8. श्री आर० ए० सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, पटना ।

2. कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों के पक्ष में प्रेषित, उनके नामों के आगे उल्लिखित आदेशों के प्राधिकरण का प्रतिसहरण करता है :—

1. श्री एन० डी० भाटिया—आदेश संख्या 53(1)70-सी० एल० 2 दिनांक 9-4-70 ।

2. श्री ओ० पी० गुप्ता—आदेश सं० 51/1/65-सी० एल०-2, दिनांक 8-10-69 ।

टी० एस० श्रीनिवासन, संयुक्त निदेशक
निरीक्षण एवं पदेन उप सचिव, कम्पनी विधि बोर्ड

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1972

संकल्प

सं० 24-1/72-सामान्य समन्वय:—भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग के संकल्प संख्या 24-1/72-सामान्य समन्वय, दिनांक 27 जून 1972 द्वारा उच्च स्तरीय समिति की स्थापना के अनुसरण में और संकल्प संख्या 24-1/72-सामान्य समन्वय दिनांक 10 जुलाई 1972 और 12 जुलाई, 1972 द्वारा समिति के गठन की घोषणा के क्रम में, भारत सरकार प्रोफेसर एम० एस० कानूनगो, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी को उक्त समिति का पूर्ण-कालिक रूप में सदस्य-सचिव नियुक्त करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिवालय, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, समस्त राज्य सरकारों और संघीय शासित क्षेत्रों के कृषि विभागों के सचिवों, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के समस्त संलग्न और अधिनस्थ कार्यालयों, लोक सभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, संसद् पुस्तकालय (5 प्रतियां) और बानारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुलपति को भेज दी जाये ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाये ।

का० मु० अहमद, संयुक्त सचिव

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

(पर्यटन विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 20 जुलाई 1972

संकल्प

सं० 7 टी० एल०(1)/70:—पर्यटन-कार परिचालकों को, पर्यटकों के प्रयोग के लिए कारों का क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार के संकल्प सं० 6 ए० एच० सी०(6)/64दिनांक 16 जनवरी 1970 द्वारा यथा-स्वीकृत एक योजना दिनांक 31 जनवरी 1970 के भारत राज-पत्र में प्रकाशित की गई थी । तत्पश्चात् भारत सरकार के संकल्प स० 7 टी० एल०(1)/70-दिनांक 13 जुलाई, 1970 और 14 जनवरी 1971 द्वारा योजना की शर्तों में कतिपय छूटें प्रदान की गई थीं ।

पुनश्च यह निर्णय किया गया है कि योजना की कतिपय व्यवस्थाओं को उदार बनाया जाए और पर्यटन सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए लांचों और नौकाओं का क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता का क्षेत्र जल-परिवहन परिचालकों पर भी लाग् किया जाए । यथा-संशोधित योजना अनुबन्ध में दी गई है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाये और आम सूचना के लिए इसे भारत-राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एन० सहगल, सचिव
पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय पर्यटन विभाग

अनुबन्ध

पर्यटक परिवहन गाड़ियों की

किराया-खरीद (हायर परचेज) से सम्बन्धित अनुदेश

(1) **उद्देश्य**

इस योजना का उद्देश्य, पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में सम्मिलित किए गए पर्यटक गाड़ियों के परिचालकों, यात्रा-अभिकर्त्ताओं, शिकार साज-सामान आयोजकों और होटल-स्वामियों को पर्यटक-प्रयोजनों के लिए कारों का क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है ।

(2) **परिभाषाएं**

इन अनुदेशों में, जब तक प्रसंग द्वारा कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, तब तक :—

(क) समिति का तात्पर्य इन अनुदेशों के पैरा 3 के अधीन गठित की गई समिति से है ।

(ख) महानिदेशक का तात्पर्य पर्यटन के महानिदेशक से है ।

(ग) सचिव का तात्पर्य इन अनुदेशों के पैरा 3 के अधीन गठित की गई समिति के सचिव से है ।

(घ) गाड़ी का तात्पर्य पर्यटकों के परिवहन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली पर्यटक परिवहन मोटर गाड़ी है ।

(ङ) व्यापारी का तात्पर्य उस व्यापारी से है जो सम्बन्धित गाड़ी के मक के विनिर्माताओं, आयात कर्त्ताओं, वितरण कर्ताओं अथवा स्टाकिस्टों द्वारा प्राधिकृत गाड़ियों का व्यापार करता है और इसमें भारत का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड) शामिल है ।

(3) **समिति का गठन**

(क) इन अनुदेशों के अधीन गाड़ियों की किराया-खरीद हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्य करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. पर्यटन का महानिदेशक	पदेन अध्यक्ष
2. मार्केटिंग मैनेजर (आई० सी० डी०), एम० टी० सी० ।	पदेन सदस्य
3. वित्त मंत्रालय का उप वित्तीय सलाहकार (पर्यटन) या वित्त मंत्रालय द्वारा नामित अन्य अधिकारी ।	पदेन सदस्य
4. सचिव, अंतर्राज्य परिवहन आयोग, नौपरिवहन और परिवहन मंत्रालय ।	पदेन सदस्य
5. विधि सचिव द्वारा नामित विधि मंत्रालय का एक अधिकारी ।	पदेन सदस्य
6. उप महानिदेशक, पर्यटन विभाग	पदेन सदस्य सचिव

(ख) बैठक में तीन सदस्यों के उपस्थित होने से कोरम पूरा माना जाएगा और बैठक के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष के और उसकी अनुपस्थिति में सचिव तथा एक सदस्य के हस्ताक्षर होंगे । सभी मामले समिति द्वारा उपस्थिति और वोट देने वाले सदस्यों की वोटों के साधारण बहुमत के आधार पर निर्णीत किए जाएंगे और समिति के अध्यक्ष को निर्णयक मत (कास्टिंग वोट) देने का अधिकार होगा ।

(4) **गाड़ियों के वर्ग**

इन अनुदेशों के अधीन केवल निम्नलिखित वर्ग की गाड़ियों की बाबत ही किराया-खरीद की जा सकेगी :—

1. मोटर कारें —नई और बरती हुई (सैकण्ड हैण्ड)
2. डीलक्स टाइप की मिनिबसें और ओमनीबसें ।

(5) किराया-खरीद के लिए आवेदन

गाड़ी की किराया-खरीद का आवेदन इन अनुदेशों के परिशिष्ट 1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार होगा और उसे ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित समिति के सचिव को 6 अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

(6) **आवेदकों की पात्रता**

(क) पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में सम्मिलित किए गए केवल वही गाड़ी परिचालक, यात्रा-अभिकर्ता, शिकार साज-सामान आयोजक और होटल स्वामी आवेदन करने के पात्र होंगे जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(i) उसकी कम से कम तीन गाड़ियां चलती हों और वह उन का स्वामी हो किन्तु यात्रा-अभिकर्ताओं, शिकार साज-सामान आयोजकों और होटल स्वामियों के मामले में इस शर्त में छूट दी जा सकती है ।

(ii) वह विभागीय अनुदेशों , नियमों अथवा विनियमों में किसी का उल्लंघन करने या विभाग के साथ किये गये किसी भी करार अथवा संविदा को भंग करने का दोषी न पया गया हो । साथ ही वह किसी लागू कानून के अधीन किसी भी अपराध में दोषी न पाया गया हो ।

(ख) किराया-खरीद के आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख भी संलग्न किये जाने चाहिए :—

(1) आयकर भुगतान का प्रमाण-पत्र,

(2) पिछले तीन वर्षों के पर्यटन व्यवसाय का लेखापरीक्षित हानि -लाभ लेखा और तुलन-पत्र (बैलेंस-शीट) ।

(3) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों में किये गये विदेशी मुद्रा के उपार्जन को, यदि कोई हो तो, दिखाने वाला विवरण जिसे सम्बध यात्रा अभिकर्ताओं, होटलों, हवाई कंपनियों, बैंकों आदि द्वारा यथोचित रूप से प्रभावित किया गया है ।

(7) **आवेदन-पत्र की संवीक्षा**

सचिव उसे प्राप्त हुए प्रत्येक आवेदन की ध्यान पूर्वक संवीक्षा कराएगा तथा आवेदन-पत्र के भाग 'ख' में उसके बारे में अपने विचार अंकित करेगा और शीघ्र से शीघ्र उसे समिति के सामने विचारार्थ रखेगा ।

(8) **समिति का निर्णय**

समिति का निर्णय आवेदन पत्र के भाग 'ग' में दर्ज किया जाएगा और उस अध्यक्ष के, अथवा उसकी अनुपस्थिति में, एक सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षर होंगे ।

(9) **सरकार द्वारा अंशदान**

गाड़ी व्यापारी से राष्ट्रपति के नाम जिसका उल्लेख इसके आगे, सरकार शब्द से किया जाएगा खरीदी जाएगी और सरकार द्वारा दिया गया अंशदान गाड़ी की कुल कीमत के 2/3 से अधिक नहीं होगा किन्तु अधिकतम सीमा डी-लक्स कोचों के मामले में, 75,000 रुपए और अन्य वाहनों के मामले में 60,000 रुपए होगी । गाड़ी की शेष कीमत का भुगतान, नीचे पैरा II के अनुसार किराया खरीद के करार का निष्पादन करने से पहले, आवेदक द्वारा गाड़ी की खरीद के लिए महानिदेशक को एक मुश्त रूप में किया जाएगा ।

(10) **करार का निष्पादन**

गाड़ी की खरीद के लिए महानिदेशक को अपने अंशदान का भुगतान करने के बाद आवेदक, उक्त गाड़ी की बाबत, सरकार के साथ एक किराया खरीद के करार का निष्पादन करेगा ।

(11) **गाड़ी की सुपुर्दगी**

ऊपर पैरा 9 में उल्लिखित अदायगी करने के पश्चात् और ऊपर पैरा 10 में उल्लिखित किराया खरीद के करार के निष्पादन करने के बाद सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, आवेदक सरकार की ओर से गाड़ी ले लेगा और तदुपरान्त गाड़ीपर सरकार का स्वामित्व हो जाएगा ।

(12) **किराये की किस्तों की अदायगी**

आवेदक, गाड़ी की कीमत में सरकार के अंशदान की वापसी, उस पर ब्याज सहित , किराए की त्रैमासिक किस्तों में, जो स्वदेश में निर्मित कारों के मामले में 8 और अन्य कारों के मामलों में 16 से अधिक नहीं होगी । पहली किस्त, सरकार द्वारा व्यापारी को कीमत का भुगतान करने के तीन महीने बाद देय हो जायेगी । भुगतान के लिए लिए नियत तारीखों तथा किराए की किस्तों की की राशि का निर्देश ऊपर पैरा 10 में निर्दिष्ट किराया खरीद के करार में होगा । किराए की प्रत्येक किस्त की राशि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी जिससे सरकार को अपने अंशदान पर, व्यापारी को कीमत की अदायगी करने के समय प्रचलित बैंक दर से 4 1/2 प्रतिशत वार्षिक अधिक की दर पर ब्याज मिल सके । सरकार के अंशदान पर ब्याज में 2 1/2 प्रतिशत घटौती प्रदान की जाएगी, यदि किरायों की किस्तों की अदायगी, करार में नियत की गई तारीखों पर अविलम्ब रूप से कर दी जायेगी और आवेदक द्वारा अन्य कोई त्रुटि न की गई होगी । करार में, कटौती की राशि का, और उसके साथ साथ अविलम्ब अदायगी करने के मामलों में देय निवल-राशि का, भी निर्देश किया जाएगा । आवेदक को, किन्हीं भी किराए की किस्तों के निर्धारित समय पर न दिये जाने की स्थिति में उनकी राशियों पर त्रुटि की तारीख से किस्त की अदायगी की तारीख तक, व्यापारी को कीमत की अदायगी करने के समय प्रचलित बैंक-दर से 4 1/2 प्रतिशत वार्षिक अधिक की दर पर देना होगा ।

(ख) किराए की प्रत्येक त्रैमासिक किस्त जहां तक कि किराये की किस्त के मूलधन भाग का सम्बन्ध है, आवेदक द्वारा चालान तीन प्रतियों में भर कर सरकारी खजाने के खाते में सेक्शन 'पी०-केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले कर्ज और पेशगियां-स्थानीनिधियों को कर्ज के गैर-सरकारी पार्टियां आदि-विविध कर्ज और पेशगियां-अन्य पार्टियां को कर्ज' के अन्तर्गत जमा कराई जाएगी और जहां तक किराए की प्रत्येक किस्त के ब्याज भाग का सम्बन्ध है, उसे प्राप्ति-शीर्ष XVI ब्याज-सी० अन्य प्राप्तियां-केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और पेशगियों पर ब्याज -विविध कर्ज और पेशगियां-अन्य पार्टियों को दिए गए कर्ज पर ब्याज', में जमा कराया जायेगा । किराए की प्रत्येक किस्त से सम्बन्धित मूलधन और ब्याज की राशियों का किराया-खरीद के करार में पृथक पृथक निर्देश किया जाएगा ।

(ग) जब उपरोक्त राशियां सरकारी खजाने में जमा करा दी जाएं तो रसीदी चालान की एक प्रति सचिव को भेजी जाएगी ।

(13) **आवेदक के अंश की वापसी**

ऊपर पैरा 9 में निर्दिष्ट गाड़ी की कीमत में आवेदक के अंश की प्राथमिक एक मुश्त राशियों की सरकार को प्राप्ति हो जाने पर यदि सरकार किसी कारण से गाड़ी नहीं लेती तो आवेदक द्वारा अदा की गई उक्त राशियां आवेदक को लौटा दी जायेंगी। आवेदक सरकार से उक्त राशियों पर ब्याज लेने का हकदार नहीं होगा।

(14) **आवेदक का अधिकार**

सरकार को किराए की सभी त्रैमासिक किस्तों की और साथ ही किराया खरीद के करार के अधीन आवेदक द्वारा सरकार को देय अन्य किसी भी धन-राशि की पूरी पूरी अदायगी करने के बाद आवेदक को यह अधिकार होगा कि वह गाड़ी का स्वामित्व बदलवा कर अपने नाम करवा ले।

(15) **करार का समापन**

यदि आवेदक, किराए की त्रैमासिक किस्तों की अदायगी उन तारीखों पर नहीं करता जिन पर कि वे देय होती हैं तो सरकार को यह अधिकार है कि वह ऊपर पैरा 10 के अधीन निष्पादित करार को समाप्त कर दे, और इस प्रकार करार की समाप्ति होने पर आवेदक द्वारा दी गई राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और समिति आगे पैरा 25 में विनिर्दिष्ट कार्रवाई कर सकती है।

(16) **गारंटी**

वापसी की समस्त अवधि, के लिये जिसमें बढ़ाई गई अवधि यदि कोई हो तो वह शामिल होगी, किराए की किस्तों की समस्त राशि की यथोचित वापसी के लिए आवेदक एक गारंटी देगा :—

(क) जिसके अनुसार वह अपने फ्लीट में से किसी दूसरी, अभार-ग्रस्त (अन-एनकम्बर्ड) गाड़ी को जो समिति को मंजूर हो, समिति की संतुष्टि के अनुसार दृष्टि-बंधक रखेगा।

अथवा

(ख) किसी मान्यता प्राप्त परिचालक से एक अभार-ग्रस्त गाड़ी को जो समिति को मंजूर हो, दृष्टि-बंधक रखा कर समिति की संतुष्टि के अनुसार एक गारंटी देगा।

गारंटी तब तक चालू रहेगी जब तक कि किराए की सारी किस्तों की अदायगी पूरी न हो जाए और आवेदक द्वारा निष्पादित किराया खरीद के करार के की शर्तों के अनुसार गाड़ी का स्वामित्व आवेदक को हस्तांतरित न हो जाए तथा सरकार की इस सम्बन्ध में संतुष्टि न हो जाए कि आवेदक से प्राप्त कोई राशि अब देय नहीं रही है।

नोट :—उपर्युक्त गारंटी देना, उन गाड़ियों के मामलों में अपेक्षित नहीं होगा जिन में सरकार का अंशदान 15,000/- रुपए से अधिक नहीं है।

(17) **गाड़ी का बीमा**

आवेदक अपने खर्च पर गाड़ी का सभी प्रकार के जोखिमों के विरुद्ध उसके बाजार के अनुसार पूरे मूल्य के लिए, जीवन बीमा निगम अथवा समिति द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य बीमा कम्पनी द्वारा पूर्ण रूप से बीमा करवाएगा और उसको उतनी ही राशि के लिए अथवा उस राशि के लिए जो किराए की शेष किस्तों के पूर्ण योग से कम न हों, तक तब तक बीमा करवाये रखेगा, जब तक की किराए की समस्त किस्तें चुका न दी जाएं और गाड़ी का स्वामित्व आवेदक को हस्तांतरित न हो आवेदक बीमा-प्रमाण पत्र अपने पास रखेगा, जब कि बीमे की पालिसी सचिव के पास जमा करानी होगी। इस प्रकार तैयार कराईगई बीमें की पालिसी में एक इस आशय का प्रावधान (क्लाज) होगा कि केन्द्रीय सरकार इस पालिसी में अपना स्वत्वाधिकार रखती है और इस बीमें की पालिसी के अधीन जो भी धन-राशियां देय होगी उन सब का भुगतान सरकार को किया जाएगा।

(18) किराया-खरीद के करार के अधीन पूरी देय धन-राशि का भुगतान किया जाने पर बीमे की पालिसी में से उपरोक्त आशय का पृष्ठांकन (एंडोर्सेमेंट) जाएगा।

यह आवेदक का दायित्व होगा कि वह बीमा-पालिसी को तब तक चालू रखे जब तक कि किराया-खरीद के करार के अनुसार गाड़ी पर उसका स्वामित्व नहीं होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीमे की पालिसी की किस्तों की राशि भुगतान की तारीखों से काफी पहले भेजेगा और बीमे की प्रदत्त किस्तों की रसीदों को वार्षिक रूप से भेजता रहेगा तथा गाड़ी से सम्बन्धित मौजूदा बीमा पालिसी की समाप्ति से 21 दिन पूर्व उन रसीद/रसीदों को सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(19) **गाड़ी का निरीक्षक**

आवेदक, गाड़ी के क्रय के एक सप्ताह के भीतर तथा उसके बाद जब तक गाड़ी, सुपुर्दगी की तारीख के बाद, एक लाख मील न चल चुकी हो, या गाड़ी की सुपुर्दगी के बाद तीन साल न बीत चुके हों अथवा सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान करने के बाद गाड़ी का स्वामित्व आवेदक के नाम हस्तांतरित न हो चुका हो, इन में जो भी बाद में हो, तब तक किसी भी समय, गाड़ी, लाग-बुकों और लेखा-पुस्तकों को महानिदेशक द्वारा इस कार्य के लिये प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष निरीक्षण के लिए, तुरन्त पेश करेगा। लाग-बुक में अन्य बातों के साथ-साथ काल-क्रमानुसार जिन पर्यटकों/व्यक्तियों, के लिए गाड़ी का प्रयोग किया गया हो, और जिन स्थानों की गाड़ी द्वारा यात्रा की गयी हो तथा जितनी मील दूरी तय की गयी हो, इत्यादि सब बातों से सम्बन्धित प्रविष्टियां भी अंकित होनी चाहिए। लाग-बुक के परिशिष्ट में गाड़ी के अनुरक्षण, मरम्मत, पुर्जों की रद्दोबदल तथा उन पर हुए व्यय का भी निर्देश होना चाहिए।

(20) आवेदक हर समय गाड़ी का अपनी लागत पर अनुरक्षण करता रहेगा ताकि वह हर समय अच्छी हालत में चलती रहे। यदि ऊपर पैरा 19 में अपेक्षित गाड़ी के निरीक्षण के दौरान यह बात दृष्टि में आए कि गाड़ी का अनुरक्षण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो वह आवेदक द्वारा की गई चूक समझी जाएगी और सरकार को गाड़ी पर तुरन्त कब्जा करने का अधिकार होगा।

(21) सुपुर्दगी की तारीख से लेकर जब तक गाड़ी एक लाख मील न चल चुकी हो अथवा जब तक कि गाड़ी की सुपुर्दगी के बाद, यदि गाड़ि पुरानी है तो तीन वर्ष, और यदि गाड़ी नई है तो पांच वर्ष न बीत चुके हों, अथवा जब तक कि सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान करने के बाद गाड़ी का स्वामित्व आवेदक को हस्तान्तरित न हुआ हो, इन में जो भी बाद में हो, तब तक आवेदक गाड़ी को न बेचेगा, न उसका संक्रमण करेगा, न उसे गिरवी रखवाएगा और न उस पर कोई प्रभार (चार्ज) या भार (एनकम्बरैंस) उत्पन्न करेगा । सचिव को चाहिए की वह पंजीकरण प्रमाण-पत्र में उक्त आशय का एक पृष्टांकन (एंडोर्समेंट) कराने की व्यवस्था करे ।

(22) **दीर्घावधि के लिए किराए पर देना :**

उपर्युक्त किराया-खरीद करार के अधीन सरकार से ली जाने वाली गाड़ी किसी भी ग्राहक को, जो विदेशी पर्यटक नहीं है, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 7 दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी ।

(23) **आवेदक का पर्यटन विभाग के प्रति दायित्व**

आवेदक का यह दायित्व होगा कि सचिव या महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित 48 घंटे पूर्व लिखित सूचना दिए जाने पर विदेशी पर्यटकों को गाड़ी में ले जाने के लिए पर्यटन विभाग की मांग को पूरा करेगा । परन्तु यह दायित्व इस स्थिति के सापेक्ष होगा कि गाड़ी इस से पहले किसी अन्य विदेशी पर्यटक के लिए बुक न की गयी हो ।

(24) **विवरण और विवरणियां भेजने का दायित्व**

आवेदक, विदेशी पर्यटकों के नाम उनसे लिए गए किराए और अन्य ब्यौरों की बाबत, ऐसे सभी विवरण और विवरणियां प्रस्तुत करेगा जिनकी समिति द्वारा समय-समय पर मांग की जाए ।

(25) **आवेदक द्वारा हुई त्रुटियां**

यदि किराए की किसी भी किस्त के भुगतान में अथवा किराया खरीद के करार की शर्तों में किसी एक के भी पालन में आवेदक से चूक होती है तो समिति अपने संविवेक पर और मामले के गुण-दोषों पर विचार करते हुए :—

(क) आवेदक के खर्चे पर, गाड़ी पर कब्जा कर सकती है, और/या

(ख) उपर्युक्त कार्रवाई के साथ या उसके बजाय आवेदक से प्राप्त शेष राशि की वसूली के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है ।

(ग) त्रुटि को सर्वथा क्षमा कर सकती है, या

(घ) भाड़ेदार द्वारा दी गई गारंटी को उस पर लागू कर सकती है ।

(ङ) ऐसी अन्य शर्तों पर जिन्हें भी समुचित समझा जाए, यह मंजूर कर सकती है कि आवेदक , गाड़ी पर कब्जा किए रहे ।

(26) **उक्त अनुदेशों का कार्य-क्षेत्र**

निष्पादित किया जाने वाला किराया खरीद का करार पर्याप्त रूप से व्यापक एवं स्वतः पूर्ण होगा और इन अनुदेशों में दी गई विविध व्यवस्थाओं का अधिक्रमण करेगा ।

(27) **जल परिवहन**

इस योजना के अधीन मोटर-नौकाओं, लांचों आदि का क्रय करने हेतु जल परिवहन परिचालकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । आर्थिक सहायता की मात्रा, आवेदक द्वारा आर्थिक सहायता की उपयुक्त वापसी के लिए दी जाने वाली गारंटी, उन किश्तों की संख्या, जिनमें ऋण की वसूली लागू की जाएगी, आदि बातों और सहायता की अन्य शर्तों का निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर समिति द्वारा किया जाएगा ।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 12th August 1972

No. 5/30/72-CS(I).—In the Rules for the Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination, 1973, published in the Gazette of India dated the 1st July, 1972 (vide Notification No. 5/30/72-CS(I) dated 1st uly 1972) for Rule 4(2)(a) of the Rules, the following Rule shall be *substituted*, namely :—

"4(2)(a) Age—He should not be more than 45 years of age i.e., he must not have been born earlier than 1st July, 1927.

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

New Delhi, the 12th August 1972

RULES

No. 10/10/72-CS-II.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1973 for the purpose of filling temporary vacancies in the following services/posts, are published for general information :

(i) Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' sub-cadre);

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service—Grade II (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iii) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade II (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service—Grade II;

(v) Posts of Stenographer in the office of the Central Vigilance Commission, Delhi, and

(vi) Posts of Stenographer in other departments and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Central Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

A candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the services/post mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

NOTE 1.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 31st October 1973.

NOTE 2.—Some departments/offices of the Government of India making recruitment through this examination would require only English Stenographers; and appointments to posts of Stenographers in these departments/ offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Tests in English (of para 3 of Appendix I to the Rules).

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, *viz.*, 26th January, 1950 and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

4. A candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), shall not be permitted to compete more than twice at the examination, but this restriction shall be effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

5. (A) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st January, 1973, *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January, 1948, and not later than 1st January, 1955.

(B) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including language Stenographers)/Clerks/Stenotypists in the various Departments/Officers of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the offices of the Election Commission and the Central Vigilance Commission, and have rendered not less than 3 years continuous service as Stenographer (including language Stenographer)/Clerk/Stenotypist on 1st January, 1973 and continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers, on the basis of earlier examinations, held by the Union Public Service Commission, in :—

(i) Central Secretariat Stenographers' Service Grade II; or

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service Grade II; or

(iii) Indian Foreign Service (B) Grade II of the Stenographers Sub Cadre, or

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographer's Service Grade II.

NOTE 1.—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in Subordinate offices of P. & T. Deptt. shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purpose of Rule 5(B) above.

NOTE 2.—Service rendered by Service clearks employed in Defence installations, shall not be counted for the purpose of Rule 5(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe:

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March 1971;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry, and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar).

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(D) The Freedom Fighters of Goa, Daman and Diu who were not employees of the Portuguese Government of Goa, Daman and Diu and participated in the liberation struggle and suffered as a consequence thereof, imprisonment or detention for not less than six months under former Portuguese Administration, will be permitted to appear at the examination provided they have not attained the age of 35 years on 1-1-1972.

NOTE :—Candidates claiming age concession under rule 5(D) above will not be entitled to the age concessions allowed under rule 5(c) above.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(B) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

(ii) A Stenographer (including language Stenographer)/ Clerk/Stenotypist who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

6. Candidates must have passed one of the following examinations or must possess one of the following certificates :—

(i) Matriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course, for the award of a School Leaving Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Governments;

(v) Tenth Class certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(vi) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;

(vii) Pass in the examination held by a recognised Higher Secondary School/Multipurpose School in India, at the end of the penultimate year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(viii) Tenth lass Certificate from a recognised school preparing students for the Indian School Certificate Examination.

(ix) Junior Examination of the Jamia Millia Islamia, Delhi in the case of *bona fide* resident students of the Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (Since inception);

(xii) the following French Examinations of Pondicherry :

(i) 'Brevet Elementaire' (ii) Brevet d'Ensiegnement Primaire de Language Indienne' (iii) Brevet D'etudes du Premier Cycle' (iv) 'Brevet d'Enseignment Primaire Superieur de Langue Indienne' and (v) 'Brevet de Langue Indienne (Vernacular).

(xiii) Indian Army Special Certificate of Education;

(xiv) Higher Educational test of the Indian Navy;

(xv) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xvi) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xvii) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca.

(xviii) Secondary School Certificate granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/ Khulna in erstwhile East Pakistan;

(xix) School Leaving Certificate Examination of the Government of Nepal;

(xx) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma);

(xxi) Burma High School Final Examination Certificate;

(xxii) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (Pre-war);

(xxiii) Post War School leaving certificate of Burma.

(xxiv) the "Vinit" examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad;

(xxv) Pass in the 5th Year of 'Lyceum' a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu.

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Ceylon at 'Ordinary' level provided it is passed in six subjects including English and Mathematics and either Sinhalese or Tamil;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Boards London at 'Ordinary' Level provided it is passed in five subjects including English; and

(xxviii) The Junior/Secondary Technical School Examination conducted by any of the State Boards of Technical Education.

(xxix) Purva Madhyama (with English), or Old Khand Madhyama (first two years course) and special Examination in additional subjects with English as one of the subjects of the Varanaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi.

(xxx) Carta de Curso de Formacao de Serralheiro (Certificate in Smithy course) and Carta de Curso de Montador Electricista (Certificate in Electrician course) awarded by the Escola Industrial Commercial de Goa, Panaji, under the Portuguese set up prior to Liberation of Goa, Daman and Diu.

Note 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this Examination.

Note 2.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which, in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

7. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

8. A candidate already in Government service whether in a permanent or a temporary capacity must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10. The decision of the Commission as to be *eligibility* or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall, or of misbehaviour in the examination hall may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

15. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes, Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

16. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service and Railway Board Secretariat Stenographers Service upto the required number and for appointments upto the number of unreserved vacancies in other Services/posts decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes can not be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subect to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service/Railway Board Secretariat Stenographers Service and for appointment to vacancies in other Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. Due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts, at the time of his application (cf. col. 27 of the application form).

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointments to the Service/post.

20. Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix II.

M. K. VASUDEVAN
Under Secretary

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Time Allowed	Maximum Marks
(i) English	3 hours	100
(ii) General Knowledge	3 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST).

300 Marks.

Note.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. The syllabus for the Written Test and the scheme of the shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) General Knowledge, of the Written Test, either in Hindi (Devanagari) or in English. The option will apply to the complete paper and not to a part thereof.

Candidates who opt to answer the aforesaid paper in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Tests, also in Hindi (Devanagari) only; and candidate who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests also in English only.

Note 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) General Knowledge, of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in Col. 8 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand tests in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Note 2.—A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad, and exercising the option to answer paper (ii) General Knowledge and take the Stenography Tests in Hindi in terms of para 3 above, may be required to appear at his own expense, for the Stenographery Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

4. Paper (i) English, of the Written Test, must be answered in English by all candidates.

5. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

6. Candidates must write the papers in their own hands. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

7. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

8. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Part A

Standard and syllabus of the written test

Note.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

English.—The paper will be designed to test the candidates knowledge of English Grammar and Composition, and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language. The paper may include questions on essay writing; precis writing; drafting; correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech, etc.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in Hindi will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi will comprse two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes, which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

A. *The Central Secretariat Stenographers' Service*

The Central Secretariat Stenoraphers' Service has at present four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. (Persons promoted from Grade I are allowed a minimum salary of Rs. 500/- in the scale) : .. .. ..

Grade I : Rs. 350—25—650—EB—30—770 (Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 400/-),

Grade II : Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Grade III : Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

(2) Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period, they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government.

(3) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appointment or, if his work or conduct, in the opinion of Government, has been unsatisfactory, he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Persons, recruited to Grade II of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or office.

(5) Persons recruited to Grade II of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to Grade II of the Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in the Cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

B. *The Railway Board Secretariat Stenographers' Service*

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 (Persons promoted from Grade I are allowed a minimum salary of Rs. 500/- in the scale).

Grade I : Rs. 350—25—650—EB—30—770 (Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 400/-).

Grade II : Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Grade III : Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

(ii) Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct in the opinion of the Government of any of them has been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other condition of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

C. *Indian Foreign Service (B)—Grade II of the Stenographers' Sub-cadre*

The scale of Grade II of the SSC of the Indian Foreign Service (B) is Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530. The officers appointed to Grade II of the S.S.C. of the I.F.S. (Branch 'B') will be governed by the I.F.S. Branch 'B' (RCSP) Rules 1964, I.F.S. (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to I.F.S. 'B' officers and such other rules and orders as may be made applicable to them by the Government of India

The Indian Foreign Service Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad. The officers appointed to this service are normally not liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Foreign Trade and Supply (Deptt. of Foreign Trade). They are, however, liable to be posted abroad against the posts borne on the strength of other Ministries and also liable to be posted to International Commissions etc. They are liable to serve anywhere in India or outside India, including non-family stations.

During Service abroad IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in according with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS (B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21, studying in India to visit their parents during the long vacation subject to certain conditions.

(iv) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(v) Outfit allowance in connection with service abroad in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Govenrment from time to time. In addition of ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally cold climatic conditions exist.

(vi) Home leave pasage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

The revised leave Rules, 1933 as amended from time to time will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

While in India, Officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government Servants of equal and similar status.

Officers of the IFS(B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

Officers appointed to this service are governed by the Liberalised Pension Rules 1950, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

D. *Armed Forces Headquarters Stenographers' Service*

The AFHQ Stenographers' Service has at present, three grades as follows :—

1. *STENOGRAPHERS GRADE I (Private Secretary)—Class II— Gazetted (Selection Grade).*

   Scale of Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.

   Persons promoted from Grade I are allowed a higher start of Rs. 500/- in the scale.

2. *STENOGRAPHERS Grade I (Senior Personal Assistants)—Class II—Gazetted.*

   Scale of Pay Rs. 350—25—650—EB—30—740. Persons promoted from Grade II are allowed a higher start of Rs. 400/- in the scale.

3. *STENOGRAPHERS GRADE II (Personal Assistants) Class II—Non-Gazetted.*

   Scale of Pay Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

2. Persons recruited direct as temporary stenographers Grade II (Personal Assistants) will be on probation for a period of 2 years. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Government may from itme to time, prescribe.

3. Stenographers Grade II recruited to AFHQ Stenographers' Service will be generally posted to any office of the AFHQ and Inter Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted to such other Stations outside Delhi/New Delhi, where offices of AFHQ/IS Organisations may be located.

4. Stenographers Grade II will be eligible for promotion to the post of Stenographers Grade I (Senior Personal Assistants) and Stenographers Grade I (S P.As) will be eligible for promotion to Stenographer Grade I (Private Secretary) in accordance with the rules in force from time to time.

5. Leave, Medical aid and other conditions of service are the same as applicable to other ministerial staff employed in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations.

H. *Central Vigilance Commission, India*

The posts of Stenographer in the Central Vigilance Commission carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Stenographer in the Central Secretariat Stenographers' Service, but these posts are not included in that Service.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 22nd July 1972

No. 3/28/69-*GP(I)*.—The President is pleased to constitute an Advisory Committee associated with the Minister of Home Affairs for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

2. The Advisory Committee shall consist of :—

(i) The Administrator, Dadra and Nagar Haveli.

(ii) The Member of Parliament representing the U.T. of Dadra and Nagar Haveli.

(iii) The Chairman of Varishta Panchayat.

(iv) Three non-official members.

3. The Advisory Committee shall be consulted in regard to :—

(i) general questions of policy relating to the administration of the territory in the State field;

(ii) all legislative proposals concerning the territory in regard to matters in the State list;

(iii) such matters relating to the annual financial statement of the Union in so far as it concerns the territory and such other financial questions as may be referred to it by the President; and

(iv) any other matter on which it may be considered necessary or desirable by the Minister of Home Affairs that the Advisory Committee should be consulted.

4. Subject to the discretion of the Minister of Home Affairs to refuse in the public interest to give information or to allow discussion, members of the Advisory Committee will have right in regard to interpellations analogous to and under similar limitations as those of members of the State Legislature.

5. The non-official members of the Advisory Committee shall be nominated every year.

6. The Advisory Committee shall meet at intervals of not more than six months.

7. The Minister of Home Affairs will preside at the meetings of the Advisory Committee.

8. The meetings of the Advisory Committee shall be regulated by such rules of procedure as may be framed by the Minister of Home Affairs in consultation with the Advisory Committee.

9. The Office of a member of the Advisory Committee shall be honorary and shall not carry any salary or remuneration.

No. 3/28/69-*GP*(*ii*).—In pursuance of para 2(iv) of Ministry of Home Affairs' Notification No. 3/28/69-GP(i), dated the 22nd July, 1972, the President is pleased to nominate the following non-official members to the Advisory Committee associated with the Minister of Home Affairs for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli for the period upto March 31, 1973 :—

1. Shri Jayantibhai Naranbhai Desai.
2. Shri Devjibhai Rajubhai Gond.
3. Smt. Jamniben Ramjibhai Vartha.

S. C. VAISH, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 7th July 1972

RESOLUTION

No. SSI(*1*)-17(3)/72.—The Government of India are pleased to reconstitute the Small Scale Industries Board as follows :—

Chairman

Minister of Industrial Development, Government of India.

Vice-Chairman

Deputy Minister in charge of Small Scale Industries in the Ministry of Industrial Development.

Members

1. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad (A.P.).
2. Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands, Port Blair.
3. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Arunachal Pradesh, Ziro.
4. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Assam, Shillong.
5. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Bihar, Patna.
6. Chief Commissioner, Chandigarh Administration, Chandigarh.
7. Chief Executive Councilor, Delhi Administration, Delhi.
8. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Goa, Daman & Diu, Panaji.
9. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Gujarat, Ahmedabad.
10. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Haryana, Chandigarh.
11. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Himachal Pradesh, Simla.
12. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Jammu & Kashmir, Srinagar.
13. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Kerala, Trivandrum.
14. Chief Commissioner, Lacadives and Minicoy Islands, Kavaraty.
15. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
16. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Meghalaya, Shillong.
17. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Maharashtra, Bombay.
18. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Mizoram, Aijal.
19. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Manipur Imphal.
20. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Mysore, Bangalore.
21. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Nagaland, Kohima.
22. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Orissa, Bhubaneshwar.
23. Minister in charge of Small Scale Industries, Pondicherry Administration, Pondicherry.
24. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Punjab, Chandigarh.
25. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Rajasthan, Jaipur.
26. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Tamil Nadu, Madras.
27. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Tripura, Agartala.
28. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
29. Minister in charge of Small Scale Industries, Government of West Bengal, Calcutta.
30. Member (Industry), Planning Commission, Yojna Bhavan, New Delhi.
31. to 36. Six Members of Parliament (names to be notified separately).
37. Secretary, Ministry of Industrial Development, New Delhi.
38. Additional Secretary/Joint Secretary, in charge of Small Scale Industries, Government of India.
39. Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi.
40. Chairman, The National Small Industries Corporation Limited, New Delhi.
41. Chairman State Bank of India, Central Office, Bombay.
42. Deputy Governor, Reserve Bank of India, Central Office, Bombay.
43. Custodian, Syndicate Bank, Manipal (Mysore State).
44. Custodian, Central Bank of India, Mahatma Gandhi Road, Fort, Bombay-1.
45. Custodian, United Commercial Bank, 10, Brabourne Road, Calcutta-1.
46. Custodian, Deena Bank, 17, Noriman Circle, Bombay-1.
47. Shri A. R. Bhat, 1218, Sadashiv Peth, Poona-30.
48. Dr. S. K. Goyal, Indian Institute of Public Administration, Delhi.
49. Prof. M. L. Dantwala, Director & Professor of Agricultural Economics, University of Bombay, Bombay-32.
50. Shri Jagmohan Singh Kochar, Chairman, Indian Drugs Manufacturers Association, C/o Jagson Paul & Co., Bhagirath Palace, Delhi-6.
51. Shri Chakradhari Agarwal, Secretary General, National Alliance for Young Entrepreneurs, C-20/B, Green Park Extension, New Delhi-16.
52. Shri Mohan Singh, Small Scale Industrial Estate, Vishakhapatnam (Andhra Pradesh).
53. Shri Balmukund Singh, Magadh Re-rolling Mill, Nawada, District Gaya (Bihar).
54. Shri P. B. Advani, Oceana, Marine Drive, Bombay.
55. Shri Keshub Mahindra, C/o M/s. Mahindra & Mahindra Limited, Bombay.
56. Dr. S. M. Patil, Chairman, Hindustan Machine Tools, Bangalore-31.

57. Shri M. S. Parthasarthy, President, Federation of Associations of Small Industries of India, 23B/2, Rohtak Road, New Delhi-5.

58. The President, All India Manufacturers' Organisation, Jeevan Sahakar, Sir P. M. Mehta Road, Bombay-1.

59. Shri G. L. Bansal, Secretary General, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Bazar Marg, New Delhi-1.

60. Shri S. Vohra, 207, Camballa Crest, 42, Peddar Road, Bombay-26.

61. Shri A. N. Srinivasa Rao, Hivelm Industries (Pvt.) Ltd, A-5/6, Industrial Estate, Madras-32.

62. Shri H. S. Bhatty, President Electronics Parts and Component Manufacturers Association, I-C, Naaz Building, Lamington Road, Bombay-4.

63. Shri O. N. Sharma, M/s. M. C. Engineering Company, Okhla Industrial Estate, New Delhi-20.

64. The President, Small Scale Industries Association, Covent Street, Vijayawada-1 (Andhra Pradesh).

65. The President, Ranchi Small Scale Industries Association, C/o Radha Raman Press, Main Road, Ranchi (Bihar).

66. The President, Jammu Small Scale Industries Association, C/o Timber Private Limited, Akhnoor Road Jammu.

67. President, Kerala State Small Industries Association, XVII/83, Baneryee Road, Ernakulam-8 (Kerala).

68. President, Jaipur Industrial Estate Association, Jaipur (Rajasthan).

69. President, Madhya Pradesh Small Scale Industries, Association, 33, Malviya Nagar, Bhopal.

70. President, Nagaland Small Scale Industries Association, Kohima.

71. President, Orissa Small Scale Industries Association, Post Office Chauliaganj, Cuttack-3.

72. President, U.P. Industrial Estate Manufacturers Association, 17, Industrial Estate, Kanpur.

73. President, Industrial Estate Manufacturers Association, Guindy, Madras-32.

74. President, Industrial Estate Association, Ludhiana (Punjab).

75. President, Industrial Estate Association, Okhla, New Delhi-20.

76. President, Gauhati Industrial Estate Small Scale Manufacturers Association, P.O. Bamunimaidan, Gauhati (Assam).

77. Shri Abdul Bari Sarkar, Advocate, P.O. Dhubri, Assam.

78. Prof. Dhananjay Kumar Singh Mohalla Kamruddinganj, P.O. Biharsharif, Distt. Patna (Bihar).

79. Shri P. N. Rajabhoj, Bharat Dalit Sewak Sangh, 207-Ghorpade Peth, Poona-2.

Member-Secretary

80. Dr. J. D. Verma, Director, Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, Nirman Bhavan, New Delhi-11.

2. The functions of the reconstituted Board will be to advise Government on all policy matters relating to the development of Small Scale Industries.

3. The Board will have powers to appoint Committees for specific purposes; it shall also have powers to invite persons to the meetings of the Board as and when necessary.

4. The terms of the Small Scale Industries Board shall be two years with effect from the 18th May, 1972.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ABID HUSSAIN, Jt. Secy

New Delhi, the 21st July 1972

RESOLUTION

No. 2(2)/67/EI(M)/EEI.—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 7th Dec. 1971 the Central Government hereby nominates till the 6th December, 1973, Shri R. K. Srivastava, Head of the Structural & Metals Deptt., in the Indian Standards Institution, New Delhi, to be Member of the Reconstituted Panel for Steel Casting Industry. The following amendments shall be made in the said Resolution namely :—

In the said Resolution, after entry No. 18 relating to Shri B. V. Prabhu, the following entries shall be added namely :—

19. Shri R. K. Srivastava, Head of Structural & Metals Deptt., Indian Standards Institution, Manak Bhavan, New Delhi-1.

P. B SAXENA, Under Secy.

New Delhi, the 26th July 1972

RESOLUTION

No. 23(31)/71-Com. Ind.—In partial modification to the Ministry of Industrial Development Resolution of even number dated the 16th March, 1972, it has been decided to include the following persons as Members in the Panel for Refractory Industry :—

Members

1. Shri P. S. Sundaram, Superintendent (Refractories) Rourkela Steel Plant, Rourkela-1 (Orissa).

2. Shri Gajendra Gadkar, Refractory Engineer, Bhilai Steel Plant, Bhilai-1 (M.P.).

3. Shri B. K. P. Chibbar, Superintending Engineer (Refractories), Bokaro Steel Plant, Bokaro Steel City, Distt. Hazaribagh, (Bihar).

4. Shri B. B. Nadgir, Senior Geologist, Geological Survey of India, 27, Jawahar Lal Nehru Road, Calcutta-13.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Y. A. RAO, Under Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(Company Law Board)

New Delhi-1, the 22nd July 1972

ORDER

No. 53/1/70-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Company Law Board hereby authorises the following officers of the Government of India, in the Department of Company Affairs, for the purposes of the said Section 209 :—

1. Shri T. S. Srinivasan, Joint Director of Inspection, New Delhi.
2. Shri D. C. Kohli, Joint Director of Inspection, Bombay.
3. Shri K. P. Singh, Dy. Director of Inspection, New Delhi.
4. Shri G. P. Garg, Dy. Director of Inspection, New Delhi.
5. Shri Y. Khokhar, Dy. Director of Inspection, Kanpur.
6. Shri O. P. Gupta, Inspecting Officer, New Delhi.
7. Shri C. Achuthan, Investigating Officer, Bombay.
8. Shri R. A. Singh, Senior Technical Assistant, Patna

2. The Company Law Board hereby revokes the authorisation issued in favour of the following officers in the orders mentioned against their names :—

1. Shri N. D. Bhatia—Order No. 53(1)70-CL.II, dated 9-4-70.
2. Shri O. P. Gupta—Order No. 51/1/65-CL.II, dated 8-10-69.

T. S. SRINIVASAN, Jt. Director of Inspection & *Ex-Officio* Dy. Secy. to the Company Law Board.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 22nd July 1972

RESOLUTION

No. 24-1/72-Genl. Coord.—In pursuance of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Resolution No. 24-1/72-Genl. Coord. dated the 27th June, 1972 setting up the High Level Committee and in continuation of Resolutions No. 24-1/72-Genl. Coord., dated the 10th July, 1972 and the 12th July, 1972 announcing the composition of the Committee, the Government of India is pleased to appoint Prof. M. S. Kanungo, of Banaras Hindu University, Varanasi as full-time Member-Secretary of the said Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and other Members of the High Level Committee, all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Secretaries to the Government of all States and Union Territories, Agriculture Departments, all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library (5 copies), Vice-Chancellor, Banaras Hindu University, Varanasi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Q. M. AHMAD, Jt. Secy.

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

(Department of Tourism)

New Delhi, the 25th July 1972

RESOLUTION

No. VII-TL(1)/70.—A scheme to provide financial assistance to tourist car operators for the purchase of cars for the use of tourists, as sanctioned in Government of India Resolution bearing No. 6-AHC(6)/64, dated the 16th January, 1970, was published in the Gazette of India dated the 31st January, 1970. Certain relaxations in the terms and conditions of the scheme were made subsequently *vide* Government of India Resolutions No. VII-TI (1)/70, dated the 13th July, 1970 and 14th January, 1971.

It has been decided to further liberalise certain provisions of the scheme and also to extend the scope of financial assistance to water transport operators for the purchase of launches, boats etc. for tourist purposes. The scheme as amended is given in the Annexure.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

N. SAHGAL, Secy.

INSTRUCTIONS FOR THE HIRE PURCHASE OF TOURIST TRANSPORT VEHICLES

(1) *Objective*

"The objective of the scheme is to provide financial assistance to tourist car operators, travel agents, shikar outfitters and hoteliers on the approved list of the Department of Tourism, for the purchase of cars for tourist purposes."

(2) *Definitions*

In these instructions unless the context otherwise requires :

(a) Committee means the Committee constituted under para 3 of the Instructions.

(b) Director General means the Director General of Tourism.

(c) Secretary means the Secretary of the Committee constituted under para 3 of these Instructions.

(d) Vehicle means the tourist transport motor vehicle used for transport of tourists.

(e) Dealer is one who deals in vehicles duly authorised by the manufacturers, importers, distributors or stockists of the make of the concerned vehicle and includes State Trading Corporation of India Ltd.

(3) *Constitution of the Committee*

(a) A committee shall be constituted to deal with the applications for the hire purchase of vehicles under these instructions and shall consist of the following :—

Ex. Officio Chairman

1. Addl. Director General of Tourism.

Ex. Officio Members

2. Marketing Manager (ICD) S.T.C.
3. Deputy Financial Adviser (T), Ministry of Finance or any other officer nominated by the Ministry of Finance.
4. Secretary Inter-State Transport Commission, Ministry of Shipping & Transport.
5. An officer from the Ministry of Law to be nominated by Law Secretary.

Ex. Officio Member-Secretary

Dy. Director General Department of Tourism.

(b) Three Members present in person shall be a quorum for a meeting and the minutes of the meeting shall be signed by the Chairman or in his absence by the Secretary and a Member. All issues shall be decided by the Committee by a simple majority of votes of the Member present and voting and the Chairman of the Committee shall have a casting vote.

(4) *Categories of Vehicles*

Hire purchase under these instructions shall be only in respect of the vehicles of the following categories :

(1) Motor cars—new and second hand.

(2) Minibuses, omnibuses of the deluxe type.

(5) *Application for Hire Purchase*

Application for hire purchase of vehicle shall be made in the form given in Appendix I of these instructions and shall be submitted with 6 additional copies to the Secretary of the Committee mentioned in para 3 supra.

(6) *Eligibility of Applicants*

(a) Only operators of vehicles, travel agents, shikar outfitters and hoteliers on the approved list of the Department of Tourism, who satisfy the undermentioned conditions are eligible to apply.

(1) He shall own and run at least a fleet of three vehicles but in the case of travel agents, shikar outfitters and hoteliers this condition may be waived.

(2) He must not have been found guilty of violating any of the Departmental instructions, rules or regulations or breach of any agreement or contract executed with the Department. Also he must not have been found guilty of any offence under any law in force.

(b) The aplication for hire purchase should be accompanied by the undermentioned documents :—

(1) Income-tax clearance certificate.

(2) Audited profit & loss account and balance sheet pertaining to the tourist business for the last 3 years.

(3) A statement showing his earnings in foreign exchange, if any, for the 3 previous calender years duly certified by the concerned Travel Agents, Hotels, Airlines, Banks etc.

(7) *Scrutiny of the Applications*

The Secretary shall have every application received by him scrutinised carefully and record his views thereon in part B of the application and place the same for consideration of the Committee as early as possible.

(8) *Decision of the Committee*

The decision of the Committee shall be recorded in part C of the application and signed by the Chairman or in his absence by a Member and the Secretary.

(9) *Government's Contribution*

The vehicle will be purchased from the dealer in the name of the President hereinafter called the Government and the Government's contribution towards the price of the vehicle shall not exceed 2/3 of the total price of the vehicle subject to ceiling of Rs. 75,000/- in the case of Delux/Airconditioned Coaches and Rs. 60,000/- in case of other vehicles. The rest of the price of the vehicle shall be paid by the applicant in one lumpsum to the Director-General towards the purchase of the vehicle before the hire-purchase agreement is executed as per para II infra.

(10) *Execution of the Agreement*

The applicant shall execute a hire-purchase agreement with the Government in respect of the vehicle on payment of his contribution towards the price of the vehicle to the Director-General.

(11) *Delivery of the Vehicle*

After the payment mentioned in para 9 *supra* is made by the applicant to the Director General and after the execution by him of the hire-purchase agreement mentioned in para (10) *supra* the applicant on being authorised in this regard shall take delivery of the vehicle on behalf of Government and thereupon the Government shall become the owner of the vehicle.

(12) *Payment of Hire Instalment*

The applicant shall repay the Government's contribution towards the price of the vehicle together with interest thereon in not more than 8 quarterly instalments of hire in the case of indigenous cars and 16 quarterly Instalments in others, the first instalment being payable three months after the date of payment of the price of the Government to the dealer. The due dates as well as the amounts of hire instalments will be indicated in the hire purchase agreement mentioned in para 10 *supra*. The amount of each hire instalment shall be so determined as to yield an interest on Government contribution of 4½% per annum above the bank rate prevailing at the time of payment of the price, to the dealer. A rebate in interest of 2½% on the Government's contribution will be allowed if the hire instalments are paid promptly on the due dates mentioned in the agreement and the applicant, has not committed any other default. The amount of rebate as well as the net amount payable in case of prompt payments will also be indicated in the agreement. Interest will be charged on the amounts of any hire instalments overdue at 4½% per annum above the bank rate prevailing at the time of payment of the price to the dealer from the date of default to date of payment.

(b) Each quarterly hire instalment shall be paid by the applicant in Government Treasury under a challan in triplicate for credit under Section "P-Loans and Advances by the Central Government—Loans to Local Funds—Private parties. etc.—Miscellaneous Loans and Advances—Loans to other Parties" so far as the principal part of the hire instalment is concerned and to the receipt head "XVI Interest—C. Other Interest—Receipts—Interest on Loans and Advances by the Central Government—Misc. Loan and Advances—Interest on Loans to other parties" the interest part of each hire instalment. The amounts of principal and interest relating to each hire instalment will be indicated separately in the hire purchase agreement.

(c) When the above said amounts are paid into the Government Treasury, one copy of the receipted challan shall be sent to the Secretary.

13. *Refund of the Applicant's Share*

After the receipt by the Government of the initial lumpsum amounts of the applicant's share of the price referred to in para 9 *supra* if the Government for any reason does not procure the vehicle the amounts so paid by the applicant shall be refunded to him and the applicant will not be entitled to interest thereon from Government.

14. *Applicant's Right*

On full payment to the Government of all the quarterly hire instalments as well as any other sum of money which may become payable to Government by the applicant under the hire purchase agreement, the applicant shall have a right to get ownership of the vehicle transferred in his name.

15. *Termination of the Agreement*

The Government reserves the right to terminate the agreement executed under para 10 *supra* if the applicant makes any default in the payment of the quarterly hire instalment on the dates on which they have become due and on such termination the amount contributed by the applicant shall become forefeited to the Government and the Committee may take action as indicated in para 25 *infra*.

16. *Guarantee*

For the due repayment of the entire amount of hire instalments covering the full period of repayment, including extended period if any, the applicant shall furnish a guarantee

(a) by hypothecating to the satisfaction of the Committee another unencumbered vehicle acceptable to the Committee from his fleet.

or

(b) a guarantee to the satisfaction of the Committee from another recognised operator in the form of hypothecation of an unencumbered vehicle acceptable to the Committee.

The guarantee shall remain in force till all the hire instalments are paid and the applicant gets the right of the ownership transferred in his name in terms of the hire purchase agreement executed by him and the Government is satisfied that nothing is due from the applicant.

NOTE.—The above guarantee shall not be required to be furnished in case of vehicles in which Government contribution does not exceed Rs. 15,000/-.

17. *Insurance of the Vehicle*

The applicant shall get the vehicle comprehensively insured for its full market value against all risks at his own cost with the LIC or any other Insurance Company approved by the Committee and shall always keep the vehicle so insured for the same amount or in any case not less than the aggregate of the remaining hire instalments till all the hire instalments are paid and the ownership of the vehicle transferred to the applicant. The applicant shall retain the insurance certificate with him while the insurance policy will be deposited with the Secretary. In the insurance policy so taken there shall be a clause to the effect that the Central Government is interested in the policy and that all moneys payable under the insurance policy will be paid to the Government.

18. After the full money payable under the Hire purchase agreement is paid the endorsement in the Insurance policy to the above effect shall be deleted.

It shall be the obligation of the applicant to keep the insurance policy in force till he becomes the owner of the vehicle as per the hire-purchase agreement. For this purpose he shall remit the amount of the premia on the insurance policy well before the due dates and send such premia receipt(s) annually and submit it (them) to the Secretary 21 days before the date of expiry of the existing insurance policy pertaining to the vehicle.

19. *Inspection of the Vehicles*

The applicant shall produce the vehicle and the log books and the account books for inspection by any person authorised by the Additional Director-General in that behalf within a week of the purchase of vehicle and also at any time thereafter till the vehicle has run one lakh miles after the date of delivery of the vehicle or till 3 years have expired from the date of taking delivery of the vehicle or till the ownership of the vehicle is transferred to the applicant after all the dues to the Government are paid whichever is later. The log book *inter alia* should contain entries choronologically written relating to the tourists/persons for whom the vehicles are used, places visited, mileage run etc. In the Appendix of the log book the particulars of maintenance, repairs, replacement of parts relating to the vehicle along with the expenditure incurred thereon should also be indicated.

20. The applicant shall at all times maintain the vehicle at his own cost so that it is always kept in good running condition. If at any time it is noticed during the inspection of the vehicle contemplated in para 19 *supra* that the vehicle is not being maintained properly, the applicant shall be deemed to have committed a default and Government shall have the right to take immediate possession for the vehicle.

21. The applicant shall not sell or alienate or mortgage or create any charge or encumbrance on the vehicle till the vehicle has run one lakh miles from the date of taking delivery or till 3 years in the case of second-hand vehicle and five years in the case of new vehicles have expired from the date of taking delivery of the vehicle or the ownership is transferred to the applicant after all the dues are paid to the Government whichever is later. The Secretary should arrange to have an endorsement made to the above effect in the registration certificate.

22. *Long Term Hire*

The vehicle held under hire purchase agreement as aforesaid from the Government will not be hired out to any customer who is not a foreign tourist for a period exceeding 7 days at a time without the prior permission of the Government.

23. *Applicant's Obligation to Tourist Department*

The applicant will be obliged to honour the requisition of the Tourist Department to carry foreign tourists at 48 hours notice in writing signed by the Secretary or the Director General. This obligation will, however, be subject to any prior booking of the tourist motor vehicle for any other foreign tourist.

24. *Obligation to Submit Statements and Returns*

The applicant shall submit such statements or returns regarding the names of foreign tourists, amounts of hire charged from them and any other particulars as may be called for by the Committee from time to time.

25. *Default by the Applicant*

If any default is committed by the applicant in the payment of any hire instalment or in complying with any of the terms or conditions of the hire-purchase agreement, the Committee may at its discretion and depending on the merits of the case :—

(a) take possession of the vehicle at the cost of the applicant, and/or

(b) in addition to the above or in the alternative may seek to recover the amount remaining due from the applicant by any legal proceedings;

(c) condone the default altogether; or

(d) enforce the guarantee as furnished by the hirer; or

(e) agree to the applicant retaining possession of the Vehicle on such further terms as may be deemed fit.

26. *Scope or these Instructions*

The hire-purchase agreement to be executed shall be comprehensive and self contained and will be in supersession of the various provisions in these instructions.

27. *Water Transport*

Financial Assistance under this Scheme may be given to water transport operators for the purchase of motor boats, launches etc. The quantum of financial assistance, the guarantee to be furnished by the applicant for the due repayment of the financial assistance, number of instalments in which the recovery will be effected and other terms and conditions of assistance will be decided by the Committee on the merit of each case.

APPENDIX I

Application for the Hirepurchase of Tourist Transport Vehicle

1. Name of the applicant (with full business/office address, telephone No. etc.)

2. Particulars indicating whether the applicant is a proprietory concern or body corporate/an association of persons or otherwise. (A copy of registration certificate, date of incorporation, date of commencement of business etc. wherever applicable may be given. In case of individuals, age, father's name and residential address may be given.)

3. Full particulars of the present assets of and income from the car hire business along with the audited profit Loss account and balance sheet for the previous three years duly certified by a Chartered Accountant (Income Tax Clearance Certificate as well as statement showing the applicant's earnings in foreign exchange for the three previous years duly certified by the concerned Travel Agents, Hotels, Airlines, Banks etc. may also be attached).

4. Full particulars of the existing liabilities by way of loan from the Government or private or public bodies or any other individuals or others indicating the rate of interest, mode of repayment, the securities given against each and also whether there had been any default in repayment of these loans.

5. Income from any other business supported by a copy of the audited accounts and balance sheet for the last three years.

6. Particulars of any other properties or investment belonging to the applicant indicating whether they are encumbered or free from any encumbrance.

7. Particulars of Bank accounts with the name of the Bank and the branch.

8. No. of motor vehicles that are being owned and run at present with their full particulars, including names of drivers who can speak English. Indicate also the dates from which each vehicle is being owned and run.

9. Date of recognition of the applicant by the Department of tourism and Tourist Car Operator, Travel Agent, Shikar Outfitter and hotelier (Particulars of letter No. & date conveying the approval may please be indicated.)

10. Particulars of any other agreement or contract of any kind entered into by the applicant with the Government during the past 5 years.

11. Amount of contribution required from Government towards the price (See para 9 of the Instructions).

12. The number of hire instalments in which the applicant proposes to repay the Government contribution with interest (see para 12 of the Instructions).

13. Particulars of other loans if any taken by the applicant for the purchase of this vehicle from any other source with details of interest payable, security offered and other conditions.

14. Total price of the vehicle and terms of payment etc. with the dealer.

15. Details of the vehicle proposed to be purchased and the name and complete address of the dealer from whom the vehicle is to be purchased.

16. Details of guarantee proposed to be furnished in respect of the due repayment of all hire instalments to the Government. (Please see also note below para 16 of the Instructions).

17. Other information, if any.

I hereby declare and state that I have fully gone through the Instructions for the hire purchase of tourist transport vehicles and agree to the conditions mentioned therein. I further agree to abide by all the conditions of hire purchase as per terms of the hire purchase agreement the specimen form of which I have read and understood. The facts stated in this application are correct. I will use the vehicle as tourist taxi only in terms of the said Instructions and the agreement.

I further declare and state that I have not violated any departmental instructions, rules or regulations of any agreement or contract with the Government.

APPLICANT

Date :
Witnesses :
1.
2

PART B

The facts mentioned in the application have been verified and found correct except in regard to items for which no information is available with us.

The inspection report of the technical officer is enclosed. (This will be necessary only in the case of second hand tourist transport vehicles). The application is recommended/not recommended.

Secretary

PART C

The application was considered at the meeting of the Committee held on and it was decided that a sum of Rs. be sanctioned towards the price of the proposed vehicle subject to the normal terms/additional terms mentioned below.

Chairman

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972